

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 18/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 10/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 29 सितंबर 2017, का.आ.3199 (अ) दिनांक 29.09.2017 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका की क्रम सं. 5 के स्तंभ सं. 5 में मौजूदा प्रविष्टि को "संयुक्त/अपर आयुक्त, त्रिची कस्टमस आयुक्तालय, विलियम्स रोड, त्रिची" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2017-CI]

(एस. जयप्रहासम)

संयुक्त निदेशक